न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 11/2022

अनवान :

1. गुगनराम पुत्र मगलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. राधेश्याम पुत्र गुगनराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. हवासिंह पुत्र गुगनराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. जयदेव पुत्र गुगनराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. दारासिंह पुत्र सुरजाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. भलेसिंह पुत्र रामपत पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. भागीरथ पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. करणीसिंह पुत्र भगवाना पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. हनुमान पुत्र भगवाना पुत्र श्योदत जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
5. मेहरचंद पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
6. खिराज पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
7. धर्मपाल पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
8. हरदत पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
9. रामसिंह पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
10. ताराचद पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
11. हनुमान पुत्र जयसिंह पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई नि0 भाडी त0 भादरा।
12. रामनिवास पुत्र जयसिंह पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई नि0 भाडी त0 भादरा।
13. गिरदावरी पुत्री जयसिंह पुत्र फुलाराम पुत्र आशाराम जाति नाई नि0 भाडी त0 भादरा।
14. रोहताश पुत्र हजारीराम पुत्र जसूराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
15. आदराम पुत्र हजारीराम पुत्र जसूराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
16. वीरमति पत्नी भूपसिंह जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
17. अनिल पुत्र भूपसिंह पुत्र हजारीराम पुत्र जसूराम जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
18. सुनील पुत्र भूपसिंह पुत्र हजारीराम पुत्र जसूराम जाति नाई निवासी भाडी त0 भादरा।
19. रामेश्वर पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
20. रामकुमार पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
21. किशनलाल पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
22. दयाल पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
23. धोलादेवी पत्नी दीपचंद पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
24. ईश्वर पुत्र दीपचद पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
25. सतलाल पुत्र दीपचंद पुत्र मूलाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
26. बीरबल पुत्र हंसराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
27. औमप्रकाश पुत्र हंसराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
28. महावीर पुत्र हंसराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
29. प्रतापसिंह पुत्र हंसराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
30. शान्ति पत्नी श्योदान पुत्र प्रेमाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
31. लखन पुत्र श्योदान पुत्र प्रेमाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
32. पन्नालाल पुत्र बद्री पुत्र प्रेमाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
33. लक्ष्मीनारायण पुत्र बद्री पुत्र प्रेमाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
34. दलाराम पुत्र प्रेमाराम जाति नाई निवासी भाडी तहसील भादरा।
35. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा छानीबडी जरिए शाखा प्रबंधक।
36. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा अनुपशहर जरिए शाखा प्रबंधक अनुपशहर।
37. बैंक ऑफ बडौदा, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
38. एक्सीस बैंक लिमिटेड, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
39. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
40. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

उपसहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)

:– प्रतिवादीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल- **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग- **अप्रार्थी**

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक :

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाड़ी के खाता संख्या 49/41 के खसरा नं0 580, 601 की 5.129है0 बारानी, खाता सं0 83/82 के खसरा सं0 580/1, 601/1 की 5.130है0, खाता सं0 146/154 के खसरा नं0 46, 583 की 2.539है0, खाता सं0 15/13 के खसरा नं0 46/2, 592/1 की 2.538है0, खाता सं0 75/78 के खसरा नं0 240, 249 की 3.908है0, खाता सं0 262/237 के खसरा नं0 581, 589 की 4.857है0, खाता सं0 114/118 के ख0नं0 137/1, 529/3, 549, 577, 590 की 6.440है0, खाता सं0 32/160 के ख0नं0 432/2, 544, 3/3 की 6.553है0, खाता सं0 272/256 के ख0नं0 47, 578 की 3.972है0 खाता सं0 103/107 के ख0नं0 249/1, 591 की 2.062है0, खाता सं0 271/246 के ख0नं0 578/1, 591/1 की 1.809है0, खाता सं0 269/244 के ख0नं0 45, 46/1, 592 की 2.538है0, खाता सं0 292/166 के ख0नं0 418, 579, 3/1 की 6.54है0, खाता सं0 200/195 के ख0नं0 512, 582 की 5.339है0 बारानी कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त वादभूमि चिंजा व उसके पूत्रों कुरडा व मंगला के समय की संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है, जिसमें कुरडा के वारिसान का 1/2 हिस्सा व मगला के वारिसान का 1/2 हिस्सा है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु भू-प्रबंधक विभाग के सैंटलमेंट अधिकारी ने बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से वाद भूमि कुरडाराम के वारिसान के नाम ज्यादा दर्ज कर दी व मंगलाराम के वारिसान के नाम से कम दर्ज कर दी। सैंटलमेंट अधिकारी द्वारा भूमि कम ज्यादा करने से प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह ताफैसला वाद वादभूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1, 2, 5, 7 ता 10, 12, 14, 16 ता 21, 23, 24, 26 ता 29, 31 ता 34 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तामिल के बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण अप्रार्थी सं0 3, 4, 6, 11, 30, 35 ता 37 व 39 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 13, 22 व 25 जरिऐ वकील हाजिर आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि रोही मौजा भाड़ी के खाता संख्या 49/41 के खसरा न0 580, 601 की 5.129है0 बारानी, खाता सं0 83/82 के खसरा सं0 580/1, 601/1 की 5.130है0, खाता सं0 146/154 के खसरा नं0 46, 583 की 2.539है0, खाता सं0 15/13 के खसरा नं0 46/2, 592/1 की 2.538है0, खाता सं0 75/78 के खसरा न0 240, 249 की 3.908है0, खाता सं0 262/237 के खसरा नं0 581, 589 की 4.857है0, खाता सं0 114/118 के ख0नं0 137/1, 529/3, 549, 577, 590 की 6.440है0, खाता सं0 32/160 के ख0नं0 432/2, 544, 3/3 की 6.553है0, खाता सं0 272/256 के ख0न0 47, 578 की 3.972है0, खाता सं0 103/107 के ख0नं0 249/1, 591 की 2.062है0, खाता सं0 271/246 के ख0न0 578/1, 591/1 की 1.809है0, खाता सं0 269/244 के ख0नं0 45, 46/1, 592 की 2.538है0, खाता सं0 292/166 के ख0न0 418, 579, 3/1 की 6.54है0, खाता सं0 200/195 के ख0न0 512, 582 की 5.339है0 बारानी वादभूमि चिंजा व उसके पूत्रों कुरडा व मंगला के समय की सयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है, जिसमें कुरडा के वारिसान का 1/2 हिस्सा व मंगला के वारिसान का 1/2 हिस्सा है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु भू-प्रबंधक विभाग के सैंटलमेंट अधिकारी ने बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से वाद भूमि कुरडाराम के वारिसान के नाम ज्यादा दर्ज कर दी व मंगलाराम के वारिसान के नाम से कम दर्ज कर दी। सैंटलमेंट अधिकारी द्वारा भूमि कम ज्यादा करने से सायलान के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 2013(1) आरआरटी 391, 2017(1) आरआरटी 491, 2009 2 आरएलडब्ल्यु(आर.जे) 778, 2002 0 आरएलडब्ल्यु(आर.जे) 192 आदि न्यायिक दृटांत पेश किये।

वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि दरख्वास्त की मद सं0 2 में सजरा खानदान अधूरा दर्ज किया गया है जिसमें दर्ज मृत व्यक्तियों के वारिसान में लडकियों का विवरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि सैंटलमेंट अधिकारी ने नाजायज तरीके से वादभूमि कुरडाराम के वारिसान के नाम ज्यादा व मंगला के वारिसान के नाम कम दर्ज कर दी। सैंटलमेंट अधिकारी ने मृत व्यक्तियों की भूमि उनके वारिसान के नाम उनके कब्जा काश्त के अनुसार उनकी सहमति लेकर दर्ज की थी। सैंटलमेंट विभाग द्वारा केवल विरासती इंतकाल दर्ज किया गया था। भू-प्रबंध विभाग की कार्यवाही से प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडा है जितनी भूमि सैंटलमेंट से पूर्व मंगलाराम के नाम दर्ज थी उसके मुताबिक ही उसके वारिसान के नये खसरों में दर्ज की गई है। अप्रार्थीगण ने अतिरिक्त कथन किया कि कुरडा व मंगला की दोनों की मुश्तर्का में सायिका खसरा नं0 280 में 117 बीघा खाम व खसरा सं0 295 में 29-05 बीघा खाम भूमि होती थी जिसे भू-प्रबंध विभाग द्वारा नया खसरा नं0 579, 580, 582, 589, 590, 591, 592, 601 की नये खसरों में 92-12 बीघा पैमूद हुई जिसमें से खसरा सं0 601 की 33-17बीघा व खसरा सं0 580 की 6-14 बीघा कुल 40-11 बीघा प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो सुरजाराम व गुगनराम पिसरान मंगलाराम के बयान व कब्जे के मुताबिक अलग खाता में दर्ज की गई थी व शेष खसरों की भूमि अप्रार्थीगण के वाल्देन के नाम उनके कब्जा मुताबिक बयान लेकर दर्ज की गई थी। उपरोक्त भूमि के अलावा कुरडा व मंगला पिसरान बीझा की संयुक्त रूप से और कोई कृषि भूमि नहीं थी। जवाब दरख्वास्त की मद सं0 12 में दर्ज भूमि के अलावा कुरडाराम व उसके बेटो द्वारा अलग से भूमि नौतोड कर काबिल काश्त बनाई गई थी जो भू-प्रबंध विभाग द्वारा पुराना खसरा सं0 91, 104, 135, 281, 294, 307 से नये खसरा सं0 46, 47, 240, 544, 583, 581, 577, 578, 249 में पुख्ता बीघा में पैमूद की गई थी। इसके अलावा कुरडाराम के बेटों द्वारा खुद पुराना खसरा सं0 217, 165 नया खसरा

Scanned with CamScanner

432/2, 416 नौतोड कर काबिल काश्त भूमि बनाया गया था। इसके अलावा फूला, मेहरचंद, खिराज पुत्र कुरडाराम पुत्र कुरडाराम की खरीदशुदा पुराना खसरा सं0 251, 252 की 28–04 बीघा जो वर्तमान खसरा सं0 ... की 28–04 बीघा व खसरा सं0 660 की 1–06 बीघा में पैमूद हुई जिसमें से खिराज द्वारा अपने हिस्से की ... बीघा बलकान पुत्र बनवारीलाल निवासी बडौदा को विक्रय कर दी थी तथा शकुन्तला पत्नी भलेसिंह ने जरिये विक्रय पत्र खरीद कर ली जो वर्तमान रिकार्ड में शकुन्तला के नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी ने बिना विक्रय पत्रों का ... ाता दर्ज किये व बिना विक्रय पत्रों को चुनौती दिये दावा में शामिल किया गया है। कुरडराम व उसके बेटों ... नौतोड कर काबिल काश्त बनाई भूमि भू–प्रबंध विभाग द्वारा उनके वारिसों के नाम उनके कब्जे काश्त के ... रूप कुरडाराम के सभी वारिसान की सहमति से वर्तमान खसरों में दर्ज की गई थी। इस कारण कुरडाराम व ... के बेटो द्वारा नौतोड की भूमि बाबत प्रार्थीगण को कोई वाद अधिकार नहीं है और उसका दावा काबिल ... ारिजी के है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण उत्तरदाता को वादभूमि पर 75 सालों से ज्यादा समय से पहले अप्रार्थीगण ... ारदाता के पडदादा व दादा व अब अप्रार्थीगण उत्तरदाता के खातेदार काश्तकार व उनके कब्जा काश्त को ... ीकार करते आ रहे है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल जोधपुर व माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने अपने कई निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि किसी प्राईवेट व्यक्ति से कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष होती है जो समाप्त हो चुकी है तथा अब प्रार्थीगण को कब्जा प्राप्त करने का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। सैटलमेंट विभाग द्वारा खसरा परिशोधन पत्र तैयार किया गया है तथा मगलाराम के वारिसान को पुराना खसरा स0 280 की 17 बीघा व खसरा नया 295 की 29–05 बीघा कुल 146–05 भूमि खाम जिसके पुख्ता 67–06 बीघा का एकल टक है जो उपजाउ है कॉम्पेक्ट ब्लॉक बनता है जिसको 60 वर्षो से अलग से मंगलाराम के वारिसान प्रार्थीगण काश्त करते है तथा शेष भूमि कुरडाराम के वारिसान काश्त करते आ रहे है। अतः जवाब दरखास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वकील अप्रार्थी ने हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। वादभूमि मे सैटलमेंट से पूर्व कुरडा के नाम दर्ज भूमि भी शामिल है। प्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत मूल वाद में होनी हैं। चूंकि अप्रार्थीगण वर्तमान मे रिकार्डेड खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा निरबाध रूप से अपनी खातेदारी पर काबिज है। सैटलमेंट विभाग द्वारा केवल विरासती इतकाल दर्ज किया गया था और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम वाद भूमि दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग की कार्यवाही से प्रार्थीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडा है। अत प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा प्रार्थीगण इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

2 **सुविधा का संतुलन**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थीगण ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में सैटलमेंट से पूर्व कुरडा के नाम दर्ज भूमि भी शामिल है। समस्त वादभूमि कुरडा व मंगला के वारिसान के नाम होने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। अत वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रिकार्ड खातेदार होने के कारण सुविधा का संतुलन विन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष मे तथा प्रार्थीगण के विरूद्व साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि में अपना हिस्सा दुरूस्ती की घोषणा बाबत वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक हिस्सों की घोषणा गुण–अवगुण के आधार पर होनी है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड रहा है।

अत उपरोक्त विवेचनानुसार तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों विन्दूओं के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.23. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़